(c) if so, the recommendations of the Committee?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) to (c) A High Powered Fertilizer Pricing Policy Review Committee has been constituted to review the existing system of subsidization of urea and suggest a rational, broad based, scientific and transparent methodology.

The Committee is required to submit its recommendations within a period of six months from its date of consitution, viz. 28.1.97.

Unrest among Mathadi Workers

751. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the reported unrest among Mathadi workers resulting in stock pilling of fertilizers;

(b) if so, the details of the problem; and

(c) the details of the action taken/ proposed to be taken to resolve the issue?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SIS RAM OLA): (a) Yes Sir.

(b) and (c) M/s. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF), a Central Public Sector Undertaking, engages Mathadi workers registered with Statutory Boards, namely, "Railway Goods Clearing and Forwarding Establishment for Greater Bombay" and "Grocery Market & Shops Board" for its Trombay and Thal Units respectively under the Maharashtra Mathadi Hamal and Other Manual Workers (Regulation of Employment and Welfare Act), 1969. One of Unions registered with these Boards has made a demand for their direct absorption on the rolls of RCF Under the above referred Act, every registered Workers is under the employment of the statutory boards. The management is trying to resolve the problem through appropriate authorities of Government of Maharashtra.

उर्वरक उद्योग की लाभप्रदत्ता के संबंध में दीर्घकालीन नीति

752. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उर्वरक उद्योग को लाभप्रद और निवेश उन्मुखी बनाने के दृष्टिकोण से एक दीर्घकालीन नीति तैयार करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उद्योगपति सरकार की गलत नीति के कारण उर्वरक उद्योग में निवेश करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने का विचार रखती है;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) (क) और (ख) यूरिया की वर्तमान राजसहायता पद्धति की पुनरीक्षा करने तथा एक यौक्तिक, विस्तृत आधार वाली, वैज्ञानिक और पारदर्शी पद्धति का सुझाव देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षण समिति 28.1.97 को गठित की गई है। इस समिति से 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। समिति के विचारार्थ विषयों में पर्याप्तता अथवा अन्य प्रकार से इस उद्योग को प्रोत्साहनों, शुद्ध पूंजी पर लाभ के औचित्य, क्षमता उपयोगिता मानकों, मूल्यह्रास आदि तथा उर्वरक उद्योग के नियंत्रित और नियंत्रणमुक्त खंडों के संबंध में सशकाशीलता में सुधार करने के उपायों से सम्बद्ध मुद्दों की पुनरीक्षा शामिल है।

(ग) उर्वरक कच्चे मालों तथा फीडस्टाकों की उपलब्धता में बाधाओं पर विचार करते हुए उर्वरक क्षेत्र में निवेश की दर असन्तोषप्रद नहीं है। गत वर्षों में क्षमता वृद्धि के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं और कई निवेश प्रोत्साहन विचाराधीन है।

(घ) उर्वरक उद्योग के लिए निवेश वातावरण में सुधार का मुद्दा उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षण समिति को भेज दिया गया है।